रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 168] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 1987/चैत्र 16, 1909
No. 168] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 1987/CHAITRA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

का. आ. 328(अ).—संयुक्त राज्य अमरीका के फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड का उपयोग करने का प्रश्न विचार-विमर्श की विषय-वस्तु रहा है और यह सार्वजनिक महत्व का निश्चित मामला है,

केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सभी विवादों को समाप्त करने के लिए इस मामले की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति करना आवश्यक है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जो :—

(i) न्यायमूर्ति श्री. एम. पी. ठक्कर, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश—अध्यक्ष

(ii) न्यायमूर्ति श्री एस. नटराजन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश—सदस्य

से मिलकर बनेगा और नीचे पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में जांच करेगा ।

2. आयोग उन घटनाओं और परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके कारण फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड के साथ ठहराव किया गया है और विशिष्टतया निम्नलिखित विशिष्ट पहलुओं का अवलोकन करेगा, अर्थात् :—

(i) क्या फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को नियुक्त किया गया था ?

(ii) यदि हां, तो—

(क) वे तथ्य और वे परिस्थितियां जिनमें उसे नियुक्त किया गया था,

(ख) इस नियुक्ति की क्या प्रकृति थी ?

(ग) किसके प्राधिकार के अधीन उसे नियुक्त किया गया था ?

(घ) किस प्रयोजन के लिए उसे नियुक्त किया गया था ?

(ङ) किन शर्तों और निबंधनों के अधीन उसे नियुक्त किया गया था ?

(च) क्या वह उस कार्य को करने के लिए सक्षम था जो उसे सौंपा गया था ?

(iii) (क) क्या फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को कोई संदाय किया जाना प्राधिकृत किया गया था ?

(ख) क्या फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को संदाय किया गया था ?

(ग) यदि हां, तो किन सेवाओं के लिए ?

(iv) भारत सरकार ने फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड से क्या कोई सूचना प्राप्त की है ?

(v) भारत सरकार ने फेयर फैक्स ग्रुप इनकारपोरेटेड को क्या कोई सूचना दी है ?

(vi) क्या इस ठहराव से भारत की सुरक्षा पर किसी भी रीति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

3. आयोग अपनी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को तीन मास की अवधि के भीतर देगा और रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाएगी ।

4. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग पर लागू किए जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त धारा 5 की उधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू होंगे ।

[फाईल सं. 23015/5/87-प्रशासन III]

के. पी. गीताकृष्णन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 6th April, 1987

NOTIFICATION

S.O. 328(E).—Whereas the question of utilising the Fairfax Group Inc. of the United States of Amercia has been the subject matter of debate and it is a definite matter of public importance;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into such matter to set all controversies at rest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of :—

(i) Shri Justice M. P. Thakkar, —Chairman Judge, Supreme Court of India.

(ii) Shri Justice S. Nataraan, —Member Judge, Supreme Court of India.

to inquire into the matters specified in paragraph 2 below.

2. The Commission shall inquire into the events and circumstances leading to the arrangements entered into with the Fairfax Group Inc. and, in particular shall look into the following specific aspects, namely:—

(i) Was the Fairfax Group Inc. engaged ?

(ii) If so,

(a) The facts and circumstances under which it was engaged,

(b) What is the nature of the engagement ?

(c) Under whose authority was it engaged?

(d) For what purpose was it engaged ?

(e) On what terms and conditions was it engaged ?

(f) Was it competent to carry out the task that was entrusted to it ?

(iii) (a) Was any payment authorised to be made to the Fairfax Group Inc. ?

(b) Was any payment made to the Fairfix Group Inc. ?

(c) If so, for what services ?

(iv) What information if any, has the Government of India received from the Fairfax Group Inc. ?

(v) What information, if any, has been made available by the Government of India to the Fairfax Group Inc. ?

(vi) Was the security of India prejudiced in any manner in making such arrangements ?

3. The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the Central Government within a period of three months and the same shall be laid before the Parliament.

4. And whereas, the Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2) sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of Section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the Commission, the Central Government hereby directs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, that all the povisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[F. No. 23015/5/87-Admn. III]

K. P. GEETHAKRISHNAN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987